

भाग-III**हरियाणा सरकार**

विकास तथा पंचायत विभाग

आदेश

दिनांक 28 जनवरी, 2021

संख्या का० आ० 2/ह०अ० 11/1994/धा० 41/2021.— चूंकि, हरियाणा सरकार, विकास तथा पंचायत विभाग, आदेश संख्या डी.पी. एच.एल.ए. 2017/802, दिनांक 10 जुलाई, 2017 द्वारा हरियाणा राज्य के भीतर सभी ग्राम पंचायतों द्वारा ग्राम पंचायत की सीमाओं के भीतर किसी भी उपभोक्ता द्वारा उपभोग की गई बिजली के लिए बिजली बिल के दो प्रतिशत की दर से बिजली के उपभोग पर पंचायत कर उद्गृहीत किया जाना अपेक्षित था। हरियाणा राज्य में सभी ग्राम पंचायतों द्वारा राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तिथि से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर यह कर उद्गृहीत किया जाना अपेक्षित था। तथापि, ग्राम पंचायतें उक्त कर को उद्गृहीत करने में असफल रही हैं।

इसलिए, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का 11) की धारा 41 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तिथि से ग्राम पंचायत की सीमाओं के भीतर किसी भी उपभोक्ता द्वारा उपभोग की गई बिजली के लिए बिजली बिल के दो प्रतिशत की दर से बिजली के उपभोग पर पंचायत कर उद्ग्रहण करने का आदेश करते हैं। यह कर उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा संगृहीत किया जाएगा तथा उसी रीति में भुगतान किया जाएगा, मानो यह हरियाणा सरकार को भुगतानयोग्य बिजली शुल्क था तथा उसे सम्बद्ध ग्राम पंचायत को प्रेषित किया जाएगा।

आगे, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, भारत सरकार द्वारा या जहां यह भारत सरकार द्वारा किसी भी रेलवे के संनिर्माण, रख-रखाव या संचालन में या कृषि उपभोक्ता द्वारा उपभोग की जाती है, तो बिजली के उपभोग पर उद्ग्रहणीय उक्त कर से छूट प्रदान करते हैं।

सुधीर राजपाल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
विकास तथा पंचायत विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT
DEVELOPMENT AND PANCHAYATS DEPARTMENT

Order

The 28th January, 2021

No. S.O. 2/H.A. 11/1994/S. 41/2021.— Whereas vide Haryana Government, Development and Panchayats Department, the Order No. DPH-LA-2017/802, dated the 10th July, 2017 all Gram Panchayats within the State of Haryana were required levy panchayat tax on the consumption of electricity at the rate of two per centum of the electricity bill for the electricity consumed by any consumer within the limits of the Gram Panchayat. All the Gram Panchayats in the State of Haryana were required to levy this tax within a period fifteen days from the date of publication of this Order in the Official Gazette, However, the Gram Panchayats have failed to levy the said tax.

Therefore, in exercise of powers conferred by first proviso to clause (c) of sub-section (1) of section 41 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994 (11 of 1994), the Governor of Haryana hereby orders to levy Panchayat tax on the consumption of electricity at the rate of two per centum of the electricity bill for the electricity consumed by any consumer within the limits of the Gram Panchayat from the date of publication of this order in the Official Gazette. This tax shall be collected by the Uttar Haryana Bijli Vitran Nigam Limited and Dakshin Haryana Bijli Vitran Nigam Limited and paid in the same manner, as if it was electricity duty payable to Government of Haryana and the same shall be remitted to the concerned Gram panchayat.

Further, the Governor of Haryana hereby exempts the said tax leviable on consumption of electricity by Government of India or where it is consumed in the construction, maintenance or operation of any railway by the Government of India or on consumption by agriculture consumers.

SUDHIR RAJPAL,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Development and Panchayats Department.